

जीएसटी दरों में कमी होने का श्रेय मोदी सरकार को देना पूर्णतया उचित है

पर, डॉ. केलकर व डॉ. असीम दासगुप्ता, जिन्होंने जीएसटी प्रोग्राम को देश का सबसे सफल कार्यक्रम बनाया, उनकी तारीफ करने से चूकना भारी गलती होगी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का, जीएसटी दरों में कटीती से पहले देश के नाम संबोधन, पूरी तरह से एक राजनीतिक कदम था। जीएसटी परिषद, जो जीएसटी व्यवस्था में अंतिम संशोधन करने के लिए सक्षम निकाय है, द्वारा जीएसटी में सुधार और पुनर्व्यवस्था की गई है। इसकी लागू होने की तारीख भी कार्डसिल ने ही तय की है। सबसे पहले, यह याद रखना जरूरी है कि दरों में इस तरह की कमी इसलिए संभव हुई, क्योंकि जीएसटी प्रणाली अब तक बहुत सफल रही है और जीएसटी संग्रह उम्मीद से कहीं अधिक रहा है।

इन घटनाक्रमों के पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति भी है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद, अपेक्षाकृत उच्च विकास दर से आगे बढ़ रही है।

इसमें कोई शक नहीं कि सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी इस कदम के जरिए अपनी जनहितैषी छवि पेश करने की कोशिश कर

■ डॉ. विजय केलकर ने यह कल्पना की थी और विज्ञ दिया था कि देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स हो, गुड्स व सर्विस के लिए। उस समय वे केन्द्रीय वित्त सचिव थे। डॉ. असीम दासगुप्ता एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इकॉनमिस्ट तथा कोलकता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अमेरिका में विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद, प.बंगाल के वित्त मंत्री थे तथा उन्होंने पूर्ण रेखा तैयार की, जीएसटी व्यवस्था की तथा भारी भरकम “बाइबल” तैयार की, कायदे-कानून की।

■ जब मोदी सरकार आई, तब जीएसटी के दूध के दौंत टूटने की प्रक्रिया व प्रारंभिक दिनों की उलझनों को, इन दोनों व्यक्तियों ने काफ़ी हद तक सुलझा लिया था।

■ पर, मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई व राजनीतिक निर्णय लिया, जीएसटी को क्रियान्वित करने का और यह प्रोग्राम इतनी सफलता से चला कि अब दिवाली से पूर्व जीएसटी की दरें घटाना भी संभव हो पाया है।

■ राजनीतिक निर्णय आसान काम नहीं था। उदाहरण के लिए, गुजरात के मु.मंत्री के रूप में मोदी जी ने इस प्रोग्राम का विरोध किया था, पर, फिर प्र.मंत्री कार्यकाल में उनकी सरकार ने पूर्ण सहयोग व नेतृत्व प्रदान किया, इस प्रोग्राम को क्रियान्वित करने में।

रहे हैं। लेकिन यह मौजूदा लाभ असल में कई सालों तक अनेक नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और अधिकारियों की लंबी मेहनत का नतीजा है। इस संदर्भ में डॉ. विजय केलकर का नाम जरूर लिया जाना चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले देशभर में एक

समान वस्तु और सेवा कर लागू करने का खाका तैयार किया था। डॉ. केलकर उस समय वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव थे और एक अनुभवी आर्थिक प्रशासक रहे हैं।

इसके बाद, जब अप्रत्यक्ष करों के इतने बड़े ढांचे को बदलने का कठिन

काम शुरू हुआ, तो एक राज्य के वित्त मंत्री, जिन्हें पद के पीछे के उनके अथम परिश्रम के लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, का नाम सामने आता है। ये हैं डॉ. असीम दासगुप्ता। अमेरिका से पढ़ाई करके लौटने के बाद कलकत्ता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाक वायुसेना ने अपना ही गांव तबाह किया

नयी दिल्ली, 22 सितंबर। पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने ही देश के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गांव में भारी बमबारी की। अचानक हुए इस

■ पाक वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गांव पर भारी बमबारी की जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए व सैकड़ों घायल हो गए।

हमले में तिराह घाटी का मत्रे दारा गांव तबाह हो गया, हमले में कम से कम 30 लोग मारे गये और सैकड़ों अन्य घायल हो गये। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

यह हमला 21 सितंबर की रात को किया गया और कई स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने अपने चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों से गांव पर कम से कम आठ एलएस-6 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

90 करोड़ रुपए की राशि पर जीएसटी चोरी करने वालों की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 22 सितंबर। आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट, महानगर द्वितीय ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अर्जित की गई 90 करोड़ रुपए की राशि पर जीएसटी चोरी करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। अदालत ने ये आदेश आरोपी मनोज कुमार और जगदीश की जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आरोपियों पर कर

■ ऑनलाइन गेमिंग के जरिए शेफबिज स्पाइस प्रा.लि. और इनोवा लैंडिंग गेम्स प्रा.लि. ने 90 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की, पर कोई जीएसटी नहीं दिया।

चोरी का गंभीर आरोप है, जो देश की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने वाला अपराध है। यह वाइट कॉलर क्राइम है और इस स्तर पर उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक विदेन्द्र सिंह यूनिया ने बताया कि डीजीजीआई उदयपुर जून क्षेत्रीय इकाई की ओर से खुफिया जानकारी से पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग की सेवाओं के जरिए एम. शेफबिज स्पाइस प्रा.लि. और इनोवा लैंडिंग गेम्स प्रा.लि. ने 90 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है, लेकिन उनकी रिटर्न से पता चला कि उन्होंने इस राशि पर कोई जीएसटी नहीं दिया और इस तरह करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की गई है। आरोपियों ने दोनों कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए का लेन-देन कर जीएसटी की चोरी व धोखाधड़ी का अपराध किया है। मामले में अनुसंधान जारी है, इसलिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत से दो बार हार कर भी एशिया कप फाइनल में पहुँच सकता है पाकिस्तान

रविवार को भारत से दूसरी बार हारने से पाकिस्तान को झटका तो लगा, पर उम्मीदें अभी मरी नहीं हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 सितम्बर। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला हो सकता है, अगर दोनों टीमों फाइनल में पहुँचती हैं। तो आइए समझते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है।

सुपर-4 चरण में रविवार को भारत के खिलाफ 6 विकेट की हार ने पाकिस्तान की फायनल के लिये क्वालिफाई करने की उम्मीदों को झटका दिया है। लेकिन यह हार पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर नहीं करती, क्योंकि यह नॉकआउट मुकाबला नहीं था, बल्कि राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला गया सुपर-4 मुकाबला था।

जहाँ, भारत ने इस जीत के साथ फाइनल की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा

■ एशिया कप सुपर 4 फॉर्मेट पर आयोजित किया जा रहा है। इसलिए अभी भी पाकिस्तान के पास मौका है।

■ पाकिस्तान को मंगलवार को श्रीलंका और गुरुवार को बांग्लादेश को हराना होगा, अगर वह इसमें सफल होता है तो फाइनल में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खेलना होगा।

दिया है, वहीं, सलमान आगा की अगुवाई में पाकिस्तान को बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे, ताकि वे टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव की टीम से तीसरी बार भिड़ सके।

पाकिस्तान का अगला सुपर-4 मैच मंगलवार को श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने गुप-बी में सभी तीन मैच (बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग) जीतकर टॉप किया था, लेकिन सुपर-4 का पहला मुकाबला वे शनिवार को बांग्लादेश से

हार चुके हैं।

पाकिस्तान को हर हालत में श्रीलंका को हराना होगा। अगर पाकिस्तान श्रीलंका से हारता है, तो टूर्नामेंट से उसका बाहर होना तय माना जा सकता है।

अगर पाकिस्तान, श्रीलंका को हरा देता है, तो उसका अगला मुकाबला गुरुवार को बांग्लादेश से होगा। अगर पाकिस्तान यह मैच भी जीतता है, तो उनकी फाइनल की राह लगभग तय हो जाएगी। एशिया कप फायनल रविवार को

होगा। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अभी श्रीलंका और बांग्लादेश भी फायनल की दौड़ से बाहर नहीं हुये हैं। जहाँ बांग्लादेश ने पहले ही एक जीत दर्ज कर ली है, वहीं, श्रीलंका की टीम भी किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखती है।

हालाँकि भारत ने सुपर-4 में पाकिस्तान को हराकर शानदार शुरुआत की है, लेकिन फाइनल में उसकी जगह अभी पक्की नहीं हुई है।

भारत को दो और मैच खेलने हैं, बुधवार को बांग्लादेश से, तथा शुक्रवार को श्रीलंका से। भारत को फायनल में पहुँचने के लिये, इनमें से कम से कम एक मैच और जीतना होगा। लेकिन सूर्यकुमार यादव की टीम अपने शत प्रतिशत जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी और सुपर 4 के शेष दोनों मुकाबले जीतने की कोशिश करेगी।

दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस

नयी दिल्ली, 22 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में 2020 हुए दंगों के आरोपियों में शामिल

■ सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में कथित आरोपी, शरजील इमाम, उमर खालिद व अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते समय ये नोटिस जारी किए हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्रों शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य की जमानत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ ट्रंप के एच-वन बी वीज़ा का शुल्क बढ़ाने के आदेश के बाद चीन ने ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए वीज़ा की नई कैटेगरी शुरू की है।

कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ने ग्लोबल टैलेंट्स के लिए दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट में समाचार संगठन द वायर के खिलाफ लंबित मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अब मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का समय आ गया है।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के

दौरान की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा द वायर के खिलाफ दायर मानहानि मामले में जारी समन को चुनौती दी गई थी।

न्यायालय ने “द वायर” का संचालन करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नालिज्म द्वारा दायर याचिका पर प्रोफेसर अमिता सिंह को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने टिप्पणी की, “मुझे लगता है अब समय आ गया है

■ भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि को अपराधिक कृत्य माना गया है। यह धारा आईपीसी की धारा 499 की जगह आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में धारा 499 की वैधता को कायम रखा था, तब सुब्रमण्यम स्वामी, केजरीवाल व राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इसकी वैधता को चुनौती दी थी।

■ द वायर में छपे एक आलेख पर जेएनयू की एक पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इस केस पर एक मजिस्ट्रेट ने वायर को सम्मन भेजा था जिसके खिलाफ वायर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

कि इसे अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए।” वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल

सिब्बल, जो समाचार पोर्टल की ओर से पेश हुए, ने न्यायालय की इस टिप्पणी

से सहमति जताई।

भारतीय न्याय संहिता की धारा

356 के तहत अब मानहानि एक आपराधिक अपराध है। यह धारा पहले की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 की जगह लाई गई है।

भारत उन कुछ लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहाँ मानहानि एक आपराधिक अपराध है, जबकि अधिकांश देशों में इसके लिए केवल दीवानी उपाय उपलब्ध हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आईपीसी की धारा 499 की वैधता को बरकरार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)